

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 8-6-2010-नियम-चार

भोपाल, दिनांक 18 मई, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम-2011.

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के सदस्य, शासकीय नर्स (राजपत्रित) एवं (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं), म. प्र. चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा में किसी चिकित्सक या विशेषज्ञ, महाविद्यालयीन शासकीय शिक्षक, म. प्र. तकनीकी शिक्षा अभियांत्रिकी महाविद्यालय का शासकीय शिक्षक, पोलीटेक्निक महाविद्यालय का शिक्षक एवं म. प्र. चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) नर्सिंग कालेज, इन्दौर एवं म. प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी नर्सिंग संवर्ग की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि करने हेतु मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा मूल नियम 56 में आवश्यक संशोधन किया गया है. यह संशोधन अधिनियम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 20 सन् 2011, दिनांक 6 मई 2011 में प्रकाशित हो चुका है जो केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर अवलोकन एवं डाउनलोड हेतु उपलब्ध है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता/-

(मिलिन्द वाईकर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2011—वैशाख 16, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मई 2011

क्र. 2832-178-21-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 मई, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०११

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम, २०११

[दिनांक २ मई, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ मई, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम, २०११ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २९ सन्
१९६७ की धारा २
द्वारा यथास्थापित
मूल नियम
(फन्डामेंटल रूलस)
५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) की धारा २ में, मूल नियम (फन्डामेंटल रूलस) के नियम ५६ में,—

(एक) उपनियम (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(१) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, उपनियम (१-क), (१-ख), (१-ग), (१-घ), (१-ङ), (१-च), (१-छ), (१-ज), (१-झ) एवं (१-ञ) में उल्लिखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु उपनियम (१-क), (१-ख), (१-ग), (१-घ), (१-ङ), (१-च), (१-छ), (१-ज), (१-झ) एवं (१-ञ) में उल्लिखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में, सेवानिवृत्त हो जाएगा.”;

(दो) उपनियम (१-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(१-क) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, उपनियम (१-छ), (१-ज) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में, सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु उपनियम (१-छ), (१-ज) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न कोई शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा.”;

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, “शासकीय शिक्षक” से अभिप्रेत है, उपनियम (१-छ), (१-ज) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न ऐसा कोई शासकीय शिक्षक, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजनार्थ ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार की गई है और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा, किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.”;

(तीन) उपनियम (१-ग) को उसके खण्ड (क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क) में, अंक "६२" और शब्द "बासठ" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "पैंसठ" स्थापित किए जाएं और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ख) खण्ड (क) में, अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैंसठ वर्ष की की गई वृद्धि दिनांक ३१ अगस्त, २०१० से लागू हुई समझी जाएगी.”;

(चार) उपनियम (१-घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(१-ङ) (क) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्ययन करते हुए, उपनियम (१-ज) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न प्रत्येक शासकीय नर्स, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगी:

परन्तु उपनियम (१-ज) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न शासकीय नर्स, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगी.”;

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, “शासकीय नर्स” से अभिप्रेत है कोई ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, २००७ की अनुसूची-एक में, समूह “ग” परिचर्या सेवाएं के अन्तर्गत वर्णित एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी नर्सिंग सेवा भर्ती नियम, १९८९ की अनुसूची एक के अधीन परिचर्या के प्रयोजन के लिए उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो, जो ऐसी नियुक्ति को लागू करते हैं, बशर्ते कि वह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन किसी संस्था के किसी नर्सिंग पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(ख) खण्ड (क) के उपबंध ३१ अक्टूबर, २००९ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

(१-च) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्ययन करते हुए, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, १९८७ की अनुसूची-एक में उल्लिखित चिकित्सा पद पर नियुक्त वरिष्ठ न्याय संबंधी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा), कनिष्ठ न्याय संबंधित विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा) और चिकित्सा अधिकारी (गैर चिकित्सा) से भिन्न मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, १९८७ की अनुसूची-एक में उल्लिखित चिकित्सा पद पर नियुक्त वरिष्ठ न्याय संबंधी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा), कनिष्ठ न्याय संबंधी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा) और चिकित्सा अधिकारी (गैर चिकित्सा) से भिन्न मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य से अभिप्रेत है कोई ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार, जो ऐसी नियुक्ति को लागू करते हों, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान

(राजपत्रित) सेवा में किसी चिकित्सा पद पर की गई हो और उसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासकीय पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम २० वर्ष तक चिकित्सा विधिक संबंधी कार्य में लगा रहा हो, बशर्ते कि वह मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।

(१-छ)(क) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप नियम (१-क), (१-ज) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु उपनियम (१-क), (१-ज) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय शिक्षक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हों मध्यप्रदेश शिक्षण सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, १९९० की अनुसूची-एक के अधीन ग्रंथपाल या क्रीड़ा अधिकारी के पद से भिन्न किसी पद पर, किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजन के लिए की गई हो, जिसके पास न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उस पद के लिए विहित समस्त अर्हताएं हों जो कि वह धारण कर रहा हो अपितु वह कक्षा में अध्यापन कार्य से भी जुड़ा हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा जो पदोन्नति द्वारा अथवा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।

(ख) खण्ड (क) के उपबंध १६ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

(१-ज)(क) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (१-क), (१-छ) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपनियम (१-क), (१-छ) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय शिक्षक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति, उन भर्ती नियमों के अनुसार, जो कि ऐसी नियुक्ति को लागू होते हों, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा अभियांत्रिकी महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम, २००४ की अनुसूची-दो के अधीन में वर्णित ग्रंथपाल या व्यायाम शिक्षक या प्रोग्रामर के पद से भिन्न किसी पद पर, किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजन के लिए की गई हो, जिसके पास न केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उस पद के लिए विहित समस्त अर्हताएं हों जो कि वह धारण कर रहा हो अपितु वह कक्षा में अध्यापन कार्य से भी जुड़ा हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा जो पदोन्नति द्वारा अथवा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।

(ख) खण्ड (क) के उपबंध दिनांक १४ सितम्बर, २०१० से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(१-झ)(क) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उप नियम (१-क), (१-छ) एवं (१-ज) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, प्रत्येक शासकीय शिक्षक उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपनियम (१-क), (१-छ) एवं (१-ज) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, प्रत्येक शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, “शासकीय शिक्षक” से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय शिक्षक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार, जो कि ऐसी नियुक्ति को लागू होते हों, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम, २००४ की अनुसूची-दो के अधीन वर्णित ग्रंथपाल या व्यायाम शिक्षक या प्रोग्रामर या सहायक कर्मशाला अधीक्षक या वीडियोग्राफर या सिस्टम एनालिस्ट— श्रेणी-तीन या केमरामेन या कलाकार (आर्टिस्ट) या सहायक शल्य चिकित्सक के पद से भिन्न किसी पद पर, किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजन के लिए की गई हो, जिसके पास न केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उस पद के लिए विहित समस्त अर्हताएं हों जो कि वह धारण कर रहा हो अपितु वह कक्षा में अध्यापन कार्य से भी जुड़ा हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा जो पदोन्नति द्वारा अथवा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(ख) खण्ड (क) के उपबंध दिनांक १९ अक्टूबर २०१० से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

“(१-ञ) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उपनियम (१-ड) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न प्रत्येक शासकीय नर्स, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगी :

परन्तु उपनियम (१-ड) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न कोई शासकीय नर्स, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगी.”;

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, “शासकीय नर्स” से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, १९८७ की अनुसूची एक में वर्णित पद पर नर्सिंग कालेज, इन्दौर एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी नर्सिंग सेवा भर्ती नियम, १९८९ की अनुसूची-एक के अधीन परिचर्या के प्रयोजन के लिए उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं, बशर्ते कि वह चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किसी संस्था के किसी नर्सिंग पद पर धारणाधिकार रखता हो.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मई 2011

क्र. 2833-178-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 20 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 20 OF 2011.

**THE MADHYA PRADESH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU)
SANSHODHAN ADHINIYAM, 2011.**

[Received the assent of the Governor on the 2nd May, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th May, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Sanshodhan Adhiniyam, 2011.

Amendment of Fundamental Rule 56 as substituted by section 2 of the Madhya Pradesh Act No. 29 of 1967.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967), in rule 56 of the Fundamental Rules :—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), every Government Servant other than a Government Servant mentioned in sub-rules (1-a), (1-b), (1-c), (1-d), (1-e), (1-f), (1-g), (1-h), (1-i) and (1-j), shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

Provided that a Government Servant other than a Government Servant mentioned in sub-rules (1-a), (1-b), (1-c), (1-d), (1-e), (1-f), (1-g), (1-h), (1-i) and (1-j), whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.”;

(ii) for sub-rule (1-a), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1-A) Subject to the provisions of sub-rule (2), every Government Teacher other than a Government Teacher mentioned in sub-rules (1-g), (1-h) and (1-i), shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty two years:

Provided that a Government Teacher other than a Government Teacher mentioned in sub-rules (1-g), (1-h), and (1-i), whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty two years.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, “Government Teacher” means a Government Teacher, other than a Government Teacher mentioned in sub-rules (1-g), (1-h) and (1-i), by whatever designation called, appointed for the purpose of teaching in a Government educational institution in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment and shall also include a teacher who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has been engaged in teaching for not less than twenty years, provided he holds a lien on a post in the concerned Government educational institution.”;

(iii) sub-rule (1-c), shall be renumbered as clause (a) thereof and in clause (a) as so renumbered, for the figures "62" and the words "sixty two" wherever they occur, the words "sixty five" shall be substituted, and after clause (a) as so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely:—

"(b) The increase of age of superannuation from sixty two years to sixty five years in clause (a) shall be deemed to have come into force from 31st August, 2010.;"

(iv) after sub-rule (1-d), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(1-e) (a) Subject to the provisions of sub-rule (2), every Government nurse other than a Government nurse mentioned in sub-rule (1-j) shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty five years:

Provided that a Government nurse, other than a Government nurse mentioned in sub-rule (1-j), whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty five years.

Explanation.—For the purpose of this clause a "Government nurse" means a Government Servant by whatever designation called, appointed to a post mentioned under Group 'C'-Nursing Services in Schedule-I of the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2007 and under Schedule-I of the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class-III Nursing Service Recruitment Rules, 1989, for the purpose of nursing in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment, provided he holds a lien on a nursing post of an institution under the Public Health and Family Welfare Department.

(b) The provision of clause (a) shall be deemed to have come into force from 31st October, 2009.

(1-f) Subject to the provisions of sub-rule (2), every member of the Madhya Pradesh Medico Legal Institute (Gazetted) Service, other than a Senior Forensic Specialist (Non Medical) Junior Forensic Specialist (Non Medical) and Medical Officer (Non Medical), appointed to a medical post mentioned in the Schedule-I of the Madhya Pradesh Medico Legal Institute (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987, shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty five years:

Provided that every member of Madhya Pradesh Medico Legal Institute (Gazetted) Service other than a Senior Forensic Specialist (Non Medical), Junior Forensic Specialist (Non Medical) and Medical Officer (Non Medical), appointed to a medical post mentioned in the Schedule-I of the Madhya Pradesh Medico Legal Institute (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987, whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty five years.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, a member of the Madhya Pradesh Medico Legal Institute (Gazetted) Service means a Government Servant, by Whatever designation called, appointed to a medical post in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment and shall also include a

Medical Officer or Medico Legal Specialist who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise, and who has been engaged in Medico Legal Forensic work for not less than twenty years, provided he holds a lien on a post under the Madhya Pradesh Medico Legal Institute (Gazetted) Service.

- (1-g) (a) Subject to the provisions of sub-rule (2), every Government Teacher other than a Teacher mentioned in sub-rules (1-a), (1-h) and (1-i), shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty five years:

Provided that every Government Teacher other than a Teacher mentioned in sub-rules (1-a), (1-h) and (1-i), whose date of birth is the first of a month, shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty five years.

Explanation.—For the purpose of this clause, a “Government Teacher” means a Government Teacher by whatever designation called, appointed to a post, other than to the post of a Librarian or a Sports Officer, mentioned under Schedule-I of the Madhya Pradesh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, for the purpose of teaching in a Government educational institution in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment, who not only possesses all the qualifications prescribed by the University Grant Commission for the post he holds but is also involved in class room teaching and shall also include a teacher who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has been engaged in teaching for not less than twenty years, provided he holds a lien on a post in the concerned Government educational institution.

- (b) The provision of clause (a) shall be deemed to have come into force from 16th April, 2010.

- (1-h) (a) Subject to the provisions of sub-rule (2), every Government Teacher other than a Teacher mentioned in sub-rules (1-a), (1-g) and (1-i), shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty five years:

Provided that every Government Teacher other than a Teacher mentioned in sub-rules (1-a), (1-g) and (1-i), whose date of birth is the first of a month, shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty five years.

Explanation.—For the purpose of this clause, a “Government Teacher” means a Government Teacher by whatever designation called, appointed to a post, other than to the post of a Librarian or a Physical Training Instructor or a Programmer, mentioned under Schedule-II of the Madhya Pradesh Technical Education Engineering College (Teaching Cadre) Service (Recruitment) Rules, 2004, for the purpose of teaching in a Government educational institution in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment, who not only possesses all the qualifications prescribed by the All India Council for Technical Education for the post he holds but is also involved in class room teaching and shall also include a teacher who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has been engaged in teaching for not less than twenty years; provided he holds a lien on a post in the concerned Government educational institution.

- (b) The provision of clause (a) shall be deemed to have come into force from 14th September, 2010.
- (1-i) (a) Subject to the provisions of sub-rule (2), every Government Teacher other than a Teacher mentioned in sub-rules (1-a), (1-g) and (1-h), shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty five years:

Provided that every Government Teacher other than a Teacher mentioned in sub-rules (1-a), (1-g) and (1-h), whose date of birth is the first of a month, shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty five years.

Explanation.—For the purpose of this clause, a “Government Teacher” means a Government Teacher by whatever designation called, appointed to a post, other than to the post of Librarian or a Physical Training Instructor or a Programmer or an Assistant Workshop Superintendent or a Videographer or a System Analyst Grade-III or a Cameraman or an Artist or an Assistant Surgeon mentioned under Schedule-II of the Madhya Pradesh Technical Education Polytechnic College (Teaching Cadre) Service (Recruitment) Rules, 2004, for the purpose of teaching in a Government educational institution in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment, who not only possesses all the qualifications prescribed by the All India Council for Technical Education for the post he holds but is also involved in class room teaching and shall also include a teacher who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has been engaged in teaching for not less than twenty years, provided he holds a lien on a post in the concerned Government educational institution.

- (b) The provision of clause (a) shall be deemed to have come into force from 19th October, 2010.
- (1-j) Subject to the provisions of sub-rule (2), every Government nurse other than a Government nurse mentioned in sub-rule (1-e), shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty five years:

Provided that a Government nurse other than a Government nurse mentioned in sub-rule (1-e) whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty five years.

Explanation.—For the purpose of this clause, a “Government nurse” means a Government Servant by whatever designation called, appointed to a post mentioned under College of Nursing, Indore in Schedule-I of the Madhya Pradesh Medical Education (Gazetted) Services Recruitment Rules, 1987 and under Schedule-I of the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class-III Nursing Services Recruitment Rules, 1989, for the purpose of nursing in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment, provided he holds a lien on a nursing post of an institution under the Medical Education Department.”.

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 11-2-2011-नियम-चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—संचित निधि से आहरित राशि को बैंक खातों में रखने के संबंध में.

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 6 के अनुसार शासकीय धन आहरित कर बैंक खाते में जमा रखना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है. इस संबंध में म. प्र. वित्तीय संहिता भाग एक के नियम-6 में प्रावधान निम्नानुसार हैं :—

“जब तक किसी विधि अथवा आदेश या नियम जिसका वैधानिक स्वरूप है से अधिकृत न हो, वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना संचित निधि तथा लोक लेखा से विनियोग या अन्यत्र जमा करने हेतु राशि नहीं निकाली जा सकती है.”

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम 284 का उद्धरण निम्नानुसार है :—

“जब तक भुगतान तुरन्त किया जाना अपेक्षित न हो, कोषालय से आहरण नहीं किया जाये. मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्ययगत होने से बचाने हेतु कोषालय से पेशगी निकालना एक गंभीर अनियमितता है, तथा ऐसे आहरण के लिये दोषी व्यक्ति स्वयं अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा.”

इस प्रकार संचित निधि से राशि का आहरण तभी किया जाना चाहिये जब उसका उपयोग 15 दिवस के भीतर कर लिया जाय.

2. राज्य शासन द्वारा अपने वित्तीय संसाधन करों के अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार से ऋण लेकर जुटाए जाते हैं. यदि किसी आहरण अधिकारी द्वारा अनावश्यक रूप से राशि आहरित कर बैंक खाते में रखी जाती है तो उससे राज्य शासन के पास उपलब्ध संसाधनों में कमी होती है जिसकी पूर्ति के लिये बाजार से ऋण लेना पड़ता है. ऐसे ऋणों पर राज्य शासन को ब्याज देना पड़ता है.

3. अतएव निर्णय लिया गया है कि ऐसे समस्त बैंक खाते जिनमें संचित निधि से आहरित राशि बैंक खाते में रखी जाती है. के विषय में राज्य शासन को हुई Notional वित्तीय हानि की गणना हेतु निम्नानुसार प्रपत्र में जानकारी तैयार की जाय :—

क्रमांक	माह के दौरान बैंक में जमा राशि का औसत	कंडिका 2 में दर्शाई राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह के मान से ब्याज की राशि	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)